



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274053
CG-DL-E-03072026-274053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]
No. 428]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

फा. सं. HQ-PUB-BIS (1560).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्तामामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1198) दिनांक 25 मार्च 2025 (प्रकाशित दिनांक 26 मार्च 2025)

अनुसूची के क्रम संख्या 01 से 08, कॉलम (5) में — '24 सितम्बर 2025' को '24 मार्च 2027' से प्रतिस्थापित करें।

2) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1338) दिनांक 30 सितम्बर 2025 (प्रकाशित दिनांक 06 अक्टूबर 2025)

अनुसूची के क्रम संख्या 07, कॉलम (5) में — '23 मार्च 2026' को '22 मार्च 2027' से प्रतिस्थापित करें।

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./197/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 23rd June, 2026

F. No. HQ-PUB-BIS (1560).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) **Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1198) dated 25 March 2025** (Published on 26 March 2025)

SI No. 01 to 08, column (5) of schedule — Substitute '24 March 2027' for '24 September 2025'.

2) **Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1338) dated 30 September 2025** (Published on 06 October 2025)

SI No. 07, column (5) of schedule — Substitute '22 March 2027' for '23 March 2026'.

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exy./197/2026-27]